सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

108

एक सौ आठवां **प्रतिवेदन**

[शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय - सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन		
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।		01
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के माध्यम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा को आवंटित वर्ष-वार निधियों (सहायता अनुदान) को दर्शाने वाला विवरण।	10
परिशिष्ट-दो	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2013-14 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	11
परिशिष्ट-तीन	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2013-14 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	12
परिशिष्ट-चार	समिति की दिनांक 18.07.2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	19
परिशिष्ट-पांच	समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश* के उद्धरण।	22

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री ससगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा (आईआईआईटी, वडोदरा) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), जिन्हें क्रमशः 08 मार्च, 1976, 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया, में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार, सभी सांविधिक/स्वायत्त संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि आईआईआईटी, वडोदरा के वर्ष 2013-14 से 2020-21 के अपेक्षित दस्तावेजों को निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2021-22 के दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। समिति ने संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और दिनांक 18.07.2022 को हुई अपनी बैठक में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), वडोदरा के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 23.03 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

23, मार्च , 2023

02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), वडोदरा के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

आईआईआईटी वडोदरा 2013 में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 20 आईआईआईटी में से एक है। संस्थान मुख्य रूप से कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्रों में बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। संस्थान में प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सुविधाओं ने इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया है।

2. समिति ने मंत्रालय से उस अधिनियम, नियम या विनियम का उल्लेख करने को कहा जिसके अंतर्गत संस्थान के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि: –

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, आईआईआईटी, वडोदरा के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं:–

"37. प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ, संस्थान द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उपाय और ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान के मूल्यांकन आधारित परिणाम भी होंगे और उसे बोर्ड को, ऐसी तारीख को, जो विनिर्दिष्ट की जाए या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और उसे संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

(3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के अवसान पर या उससे पूर्व संस्थान के पूर्ववर्ष के कार्यकरण के संबंध में एक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार तथा जारी करेगा और उसकी एक प्रति, पूर्ववर्ष के लिए संस्थान के आय और व्यय को दर्शित करने वाले संपरीक्षित लेखा विवरणों के साथ नियत समय के भीतर केन्द्रीय सरकार और

संबद्ध राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसे संसद के प्रत्येक सदन और संबद्ध राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

3. समिति ने मंत्रालय से इन दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के लिए प्रावधान और समय-सीमा बताने को कहा है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि –

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक- निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 37(3) के अनुसार, लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की समाप्ति से पहले जारी की जाएगी।

4. समिति ने भारत सरकार द्वारा चुकता पूंजी, सहायता अनुदान, ऋण सब्सिडी आदि के माध्यम से संस्थान के वित्त पोषण के पैटर्न के बारे में पूछा। शिक्षा मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि -

योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ होगी, जिसमे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदार का क्रमश: 50:35:15 के अनुपात का योगदान होगा (पूर्वोतर क्षेत्र के लिए यह 57.5:35:7.5 के अनुपात में होगा। इसके अलावा, केन्द्र सरकार 10 करोड़ रुपए की राशि तक के आवर्ती व्यय के लिए सहायता देगी।

2013-14 से 2020-21 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्थान को प्रदान किए गए वर्ष-वार अनुदान **परिशिष्ट-एक** में दिए गए हैं।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (पाँचवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन तथा दूसरे प्रतिवेदन, छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन, जिन्हें क्रमश: 08 मार्च 1976, 12 मई 1976 और 22 दिसम्बर 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में, संगठनों/ निगमों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखे जाने आवश्यक हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने यह महसूस किया कि वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः तीन माह की अवधि पर्याप्त

होगी; लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन के मुद्रण और इसे सभा पटल पर रखने हेतु सरकार के पास भेजने के लिए अगले 6 माह दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके, तो संबंधित मंत्रालय को उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने आईआईआईटी , वडोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं, जिन्हें शिक्षा विभाग द्वारा संसद लोक (सभा) के पटल पर रखा गया था, की जांच करने का निर्णय लिया। समिति ने इन आवश्यक पत्रों की जांच से, पाया कि वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान, आईआईआईटी , वडोदरा, के आवश्यक पत्रों को 73 माह से लेकर 14 माह के लगातार विलंब से सदन के पटल पर रखा गया था। वर्ष 2021-22 के आवश्यक दस्तावेजों को अभी तक सभा के पटल पर नही रखा गया। इस प्रकार, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और संस्थान वित्तीय वर्ष की समाप्ती के नौ महीने के भीतर अपने दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की संसदीय आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे। इंस्टिट्यूट के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों और इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब की अवधि को दर्शाने वाला विवरण **<u>परिशिष्ट- दो</u>** में दिया गया है।

7. संस्थान के वर्ष 2013-14 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कालक्रमानुसार विवरण **<u>परिशिष्ट-तीन</u>** में दिया गया है।

8. समिति ने 2013-14 से 2020-21 तक के वर्षों के लिए संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने में विलंब के कारणों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"*संस्थान* 2013 *में स्थापित किया गया था*;

हालांकि, इसे अगस्त 2017 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। आईआईआईटी वडोदरा के पहले नियमित निदेशक ने 5 अगस्त, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया।

प्रारंभिक विलंब संस्थान की बुनियादी व्यवस्था के कारण हुआ था। वार्षिक प्रतिवेदन के लिए आंकड़ों का संकलन इस चरण के बाद शुरू हुआ।

विशेष रूप से 2013 से 2017 तक के आंकड़ों को अंतिम रूप देने में समय लगा। डिजाइन और मुद्रण को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय।

कोविड-19 महामारी के कारण भी प्रभावित अवधि (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए) के प्रतिवेदन में विलंब हुआ।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) में अनुमोदित प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने में देरी हुई। इसके अलावा, वर्तमान स्थिति के अनुसार, आईआईआईटी वडोदरा ने 2019-20 तक अपनी वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की है।

आईआईआईटी वडोदरा के बीओजी के पुनर्गठन के कारण 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन लंबित है। प्रतिवेदन तैयार है।

एक बार मंजूरी मिलने के बाद, इसे मुद्रित किया जाएगा और इसे तुरंत संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी।"

9. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संस्थान ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हां, तो मंत्रालय का इसे कैसे कम करने का प्रस्ताव है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"वार्षिक प्रतिवेदन/वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वित्त समिति/शासी बोर्ड/सांविधिक लेखा परीक्षा आदि द्वारा सूचित अनुदेशों का यथोचित अवलोकन, विचार-विमर्श और अनुपालन शामिल होता है। देरी के मूल कारणों में महामारी के कारण संस्थान की वित्त

समिति (एफसी) एवं शासी बोर्ड (बीओजी) की बैठकों के आयोजन में देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

"प्रत्येक संस्थान के वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन को रखने की स्थिति की निगरानी उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के स्तर पर की जा रही है। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2021 के डीओ पत्र संख्या 33-4/2020-टीएस-III, दिनांक 3 जून, 2021के डी.ओ. संख्या 54-2/2021-टीएस.1, और समसंख्यक डी.ओ. दिनांक 01.02.2022 द्वारा वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा परिचालित की थी और आईआईआईटी वडोदरा सहित सभी संस्थानों से समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध किया था ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर निर्धारित समय सीमा में रखा जा सके।''

संस्थान को समय सीमा के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि प्रक्रियाएं स्थापित और सुव्यवस्थित हो गई हैं।

10. समिति ने मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने लेखापरीक्षा करने और अंत में लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और संस्थान से संगत दस्तावेजों को समय पर प्राप्त करने के लिए किसी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"मंत्रालय ने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा परिचालित की है और सभी संस्थानों से समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध किया है ताकि इसे निर्धारित समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जा सके।

संस्थान को समय-समय पर वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए ईमेल द्वारा याद दिलाया गया था।

मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं की निगरानी अनुसूची के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।''

11. समिति ने लेखा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में पूछताछ की ताकि लेखाओं के शीघ्र और समय पर संकलन की सुविधा मिल सके। मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया है:-

"संस्थान में सभी वित्तीय रिकॉर्ड टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखे जा रहे हैं।"

12. समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या संस्थान के पास वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:-

"जी हां, आईआईआईटी वडोदरा में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ एक सलाहकार चार्टर्ड एकाउंटेंट भी है जो लेखाओं के संकलन के लिए संस्थान की सहायता करता है।"

13. समिति ने मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई आंतरिक तंत्र है ताकि संस्थान के दस्तावेजों को समय पर तैयार किया जा सके। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि –

"शिक्षा मंत्रालय वित्त समिति और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है, जिसमें कुछ सदस्य मंत्रालय से हैं।"

14. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संस्थान को दस्तावेजों आदि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने से संबंधित किसी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, मंत्रालय ने कहा है कि–

"कोई नहीं। आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 के अनुसार 29.06.2022 को फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) का गठन किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी पहली बैठक में पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा।"

15. समिति ने मंत्रालय को निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष संस्थान के दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय/संस्थान दोनों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के संबंध में टिप्पण उपलब्ध कराने के लिए कहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया:

हां। वित्त समिति (एफसी) और शासी मंडल (बीओजी) की बैठकों के समय पर आयोजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में भविष्य में होने वाले विलंब को रोका जा सकता है।"

16. समिति वर्ष 2021-22 के संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहती थी। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया: -

"वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे तैयार हैं, तथापि, इन्हें बीओजी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद सीएजी को भेजा जा सकता है। इसके अलावा, वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

17. समिति ने संस्थान के वर्ष 2013-14 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और उक्त मुद्दे पर दिनांक 18.07.2022 को शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और संस्थान के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

18. मंत्रालय के सचिव ने विलंब को स्वीकार किया और दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने हेतु उनके द्वारा किए गए कुछ उपचारात्मक उपायों से समिति को अवगत कराया।

टिप्पणियां/सिफारिशें

19. समिति यह नोट कर निराश है कि प्रत्येक चरण और दस्तावेजों को अंतिम रूप देने हेतु लक्षित तिथियों को दर्शाने वाली स्पष्ट समय सारणी के बावजूद, संस्थान के दस्तावेजों को समय पर अंतिम रूप देने और सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने हेतु न तो शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) ने और न ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा ने गंभीर प्रयास किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने के मामले को लापरवाहीपूर्ण ढंग से लिया गया है समिति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर से सहमत नहीं है कि प्रारंभिक विलंब संस्थान की स्थापना के कारण हुआ क्योंकि संस्थान के वर्ष 2013-14 के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में छह वर्ष से अधिक का समय लगा, जिसे किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता था। संस्थान के वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के अपेक्षित दस्तावेज भी 14 माह से 61 माह से अधिक विलंब के साथ सभा पटल पर रखे गए थे। इसके अलावा, संस्थान के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं को समिति द्वारा 18.7.2022 को हुई उनकी बैठक में विचार किए जाने तक अनुमोदित नहीं किया गया है। संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए, समिति आग्रह करती है कि लेखांकन वर्ष की समाप्ति के 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों अर्थात वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भविष्य में समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित सावधानी बरती जाए।

20. संस्थान के वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों की जांच करते हुए, समिति नोट करती है कि विलंब प्रत्येक चरण में हुआ अर्थात लेखाओं के संकलन में; लेखापरीक्षा प्राधिकरण को लेखाओं को प्रस्तुत करने में; संस्थान के लेखाओं को अंतिम रूप देने हेतु लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए समय में और दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय द्वारा लिए गए समय में विलंब हुआ। समिति आशा करती है कि

किए गए उपचारात्मक उपायों और मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, संस्थान के उत्तरवर्ती वर्षों के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

21. समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि अपरिहार्य कारणों से संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो निर्धारित समयावधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर या, जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाए।

नई दिल्ली;

23, मार्च, 2023

02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र

सभापति,

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

लोक सभा

———

टिप्पण : वर्ष 2021-2022 अपेक्षित दस्तावेज 13.03.2023 सभा पटल पर रखे गए।

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>(प्रतिवेदन का पैरा 4 देखें)</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा को वर्ष 2013-14 से 2021-22 के लिए आवंटित वर्षवार निधि को दर्शाने वाला विवरण

योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपये होगी, जो क्रमशः केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदारों द्वारा 50:35:15 के अनुपात में योगदान किया जाएगा (57.5: 35: 7.5 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में)। इसके अलावा केंद्र सरकार आवर्ती व्यय के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी।

वित्त पोषण (एमओई की देनदारी) की स्थिति इस प्रकार है:

	(रुपये लाख में)	
वर्ष	**ओएच-31**	**ओएच - 35**
2013-14	80	200
2014-15	-	-
2015-16	-	-
2016-17	410	50
2017-18	310	190
2018-19	200	1200
2019-20	-	600
2020-21	-	-
कुल	**1,000**	**2,240**

परिशिष्ट-दो

(प्रतिवेदन का पैरा 6 देखें)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2013-14 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नियत तिथि	वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि
2013-2014	31.12.2014	13.02.2021	73 माह 13 दिन
2014-2015	31.12.2015	13.02.2021	61 माह 13 दिन
2015-2016	31.12.2016	13.02.2021	49 माह 13दिन
2016-2017	31.12.2017	13.02.2021	37 माह 13दिन
2017-2018	31.12.2018	22.03.2021	26 माह 22 दिन
2018-2019	31.12.2019	22.03.2021	14 माह 22 दिन
2019-2020	31.12.2020	21.03.2022	14 माह 21 दिन
2020-2021	31.12.2021	12.12.2022	11 माह 12 दिन
2021-2022	31.12.2022	सभा पटल पर नहीं रखा गया	*

* टिप्पण : **वर्ष 2021-2022 अपेक्षित दस्तावेज 15.12.2022 सभा पटल पर रखे गए।**

<u>परिशिष्ट - तीन</u>

<u>(प्रतिवेदन का पैरा 7 देखें</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2013-14 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में सूचना

remarks on Annual Accounts	प्वाइंट	संस्थान द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षित		आईआईआईटी पीपीपी अधिनियम के बाद कैग द्वारा लेखापरीक्षित (9 अगस्त 2017)						
उप–प्रश्न	वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
(i)	**लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को संपर्क करने की तारीख**	08.06.2016	23.06.2016	-	-	-	-	07.09.2020	13.08.2021	
	लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	2 साल – 2 माह	1 साल – 3 माह	-	-	-	-	5 माह	4 माह -13 दिन	
(ii)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तारीख	24.05.2016	24.05.2016	18.09.2018	-	-	-	14.09.2020	25.08.2021	
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा	16 दिन	1 माह	-	-	-	-	7 दिन	12 दिन	

	प्राधिकारियों को संपर्क करने के बाद लिया गया समय									
(iii)	वार्षिक लेखों के संकलन की तारीख	08.06.2016	09.01.2017	27.03.2018	28.03.2018	05.10.2018	26.09.2019	07.09.2020	10.08.2021	
	लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	2 साल – 2 माह	1 साल – 09 माह	2 साल	1 साल	7 माह	6 माह	5 माह - 7 दिन	4 माह -10 दिन	
(iv)	लेखा परीक्षकों के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने की तारीख	22.11.2016	22.05.2017	8.10.2018	27.11.2018	14.10.2019	28.11.2019	07.09.2020	13.08.2021	
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	2 साल – 8 माह	2 साल – 2 माह	2 साल – 7 माह	1 साल – 8 माह	1 साल – 7 माह	8 माह	5 माह - दिन	4 माह -13 दिन	
(v)	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के लिए तारीख एवं अवधि	22.11.2016/ 5 माह – 15 दिन	22.05.2017/ 1 साल	08.10.2018 to 25.10.2018 / 18 दिन	27.11.2018 to 7.12.2018 / 12 दिन	14.10.2019 to 22.10.2019 / 8 दिन	28.11.2019 to 05.12.2019 / 8 दिन	22.09.2020 to 1.10.2020 / 9 दिन	26.08.2021 to 6.09.2021 /11 दिन	
(vi)	लेखा परीक्षा के दौरान / वार्षिक	5.10.2016	20.02.2017	-	-	-	-	-	-	

	लेखों की समाप्ति के बाद लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए अनुप्रश्नों की तारीख									
	लेखा परीक्षा के दौरान / लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को वार्षिक लेखों की समाप्ति के बाद अनुप्रश्नों को उठाने में लेखा परीक्षकों द्वारा लिया गया समय	लेखा परीक्षा के दौरान – 4 माह	लेखा परीक्षा के दौरान – 8 माह	-	-	-	-	-	-	
(vii)	वह तारीख जिसमें लेखा परीक्षा अनुप्रश्नों के उत्तर लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए	18.10.2016	09.03.2017	-	-	-	-	-	-	
	अनुप्रश्नों के समाधान के	13 Days	17 Days	-	-	-	-	-	-	

	लिए लिया गया समय									
(viii)	वह तारीख जिसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया	10.11.2016	-	01.11.2018	04.01.2019	15.11.2019	23.12.2019	27.10.2020	22.09.2021	
	वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	-	-	6 दिन	27 दिन	25 दिन	18 दिन	26 दिन	15 दिन	
(ix)	वह तारीख जिसमें अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट संस्थान द्वारा प्राप्त की गई	22.11.2016	22.05.2017	19.02.2019	15.03.2019	28.01.2020	11.03.2020	28.01.2021	29.10.2021	
	ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के बाद लिया गया समय	12 दिन	-	3 माह -19 दिन	2 माह -11 दिन	2 माह – 12 दिन	2 माह – 18 दिन	3 माह	1M माह – 7 दिन	
(x)	संस्थान को अंतिम लेखा	5 माह – 15 दिन	-	4 माह -12 दिन	3 माह -17 दिन	3 माह – 14 दिन	3 माह -11 दिन	4 माह – 21 दिन	2 माह -16 दिन	

	परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों की प्राप्ति के बाद लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय									
(xi)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तारीख	16.12.2018	16.12.2018	16.12.2018	16.12.2018	08.07.2019	28.07.2020	14.06.2021	13.02.2022	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और	4 साल – 9 माह	3 साल -9 माह	2 साल -9 माह	1 साल -9 माह	1 साल – 3 माह	1 साल – 4 माह	1 साल – 3 माह	10 माह -13 दिन	
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद लिया गया समय	2 साल – 1 माह	1 साल -7 माह	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीएजी ने खातों का ऑडिट किया	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीएजी ने खातों का ऑडिट किया	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीएजी ने खातों का ऑडिट किया	4 माह – 18 दिन	4 माह -16 दिन	3 माह -15 दिन	
(xii)	वह तारीख जिसमें दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किया गया	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	18.07.2019	07.09.2020	08.07.2021		
	वार्षिक रिपोर्ट	5 दिन	5 दिन	5 दिन	5 दिन	10 दिन	41 दिन	24 दिन		

	को अंतिम रूप देने के बाद लिया समय									
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद लिया गया समय	2 साल – 1 माह	1 साल	Refer 12(xi) above	Refer 12(xi) above	Refer 12(xi) above	6 माह	5 माह -11 Days		
(xiii)	वह तारीख जिसमें दस्तावेजों को अनुवाद एवं मुद्रण के लिए लिया गया	अनुवाद – – 12.04.2019 डिज़ाइन और छपाई 28.06.2019	अनुवाद – – 12.04.2019 डिज़ाइन और छपाई 28.06.2019	अनुवाद – – 12.04.2019 डिज़ाइन और छपाई 28.06.2019	अनुवाद – – 12.04.2019 डिज़ाइन और छपाई 28.06.2019	अनुवाद – – 12.04.2019 डिज़ाइन और छपाई 28.06.2019	अनुवाद – – 27.05.2020 छपाई 08.01.2021	अनुवाद – – 24.05.2021 छपाई 30.11.2021	अनुवाद – – 13.02.2022	
	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय	अनुवाद – 14.11.2019 डिज़ाइन और छपाई 10.12.2019	अनुवाद – 14.11.2019 डिज़ाइन और छपाई 10.12.2019	अनुवाद – 14.11.2019 डिज़ाइन और छपाई 10.12.2019	अनुवाद – 14.11.2019 डिज़ाइन और छपाई 10.12.2019	अनुवाद – 14.11.2019 डिज़ाइन और छपाई 10.12.2019	अनुवाद – 10.06.2020 छपाई 23.01.2021	अनुवाद – 22.06.2021 छपाई 06.12.2021	अनुवाद – 11.04.2022	
(xiv)	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने के बाद सदन में रखने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने के लिए तारीख	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	25.01.2021	08.12.2021		

	मंत्रालय के दस्तावेजों को भेजने में संस्था द्वारा लिया गया समय	2 दिन	2 दिन	2 दिन	2 दिन	2 दिन	2 दिन	2 दिन		
(xv)	सदन को दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख	13.02.2021	13.02.2021	13.02.2021	13.02.2021	(रा.स(.- 17.03.2021 (लो.स(.- 22.03.2021	RS- 17.03.2021 (लो.स(.- 22.03.2021	(रा.स(.- 16.03.2022 (लो.स(.- 21.03.2022		*
	संस्था से दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद लिया गया समय									
वार्षिक रिपोर्ट पर टिप्पणी		2017 के बाद नियमित निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुरू की गई वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 की तैयारी	2017 के बाद नियमित निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुरू की गई वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी; साथ ही 2017-18	2017 के बाद नियमित निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुरू की गई वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी; साथ ही 2017-18	2017 के बाद नियमित निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद शुरू की गई वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी; साथ ही 2017-18					

* टिप्पण : **वर्ष 2021-2022 अपेक्षित दस्तावेज 13.03.2023 सभा पटल पर रखे गए।**

परिशिष्ट-चार

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 18 जुलाई, 2022 को हुई नौवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार,18 जुलाई, 2022 को 15:00 बजे से 16:15 बजे तक समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

(लोक सभा)

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
4. श्री टी.एन. प्रथापन
5 श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री सुंदर प्रसाद दास	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

साक्षी

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

1	श्री के. संजय मूर्ति	-	सचिव
2	श्री विनीत जोशी	-	अपर सचिव
3	सुश्री मनमोहन कौर	-	एडवाइजर (कॉस्ट)

XX XXX XX

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा

प्रो शरत कुमार पात्रा - निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक xx xx

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा और xx xx

के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले को लिया।

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के साक्षियों को अंदर बुलाया गया।

4. सभापति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 55 (1) के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

5. इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों ने आईआईआईटी की उत्पत्ति और कार्यकरण के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। तत्पश्चात्, समिति ने उक्त आईआईआईटी के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में बार-बार और अत्यधिक विलंब के विशिष्ट कारणों के बारे में जानना चाहा।

6. xx xx xxx

7. आईआईआईटी, वडोदरा के अपेक्षित दस्तावेजों को विलंब से सभा पटल पर रखने के कारणों के संबंध में यह बताया गया है कि संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी, लेकिन, संस्थान को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था और वर्ष 2017 में पहले नियमित निदेशक की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक

विलंब संस्थान की स्थापना के कारण हुआ था। वर्ष 2013 से 2017 तक के आंकड़ों को एकत्र करना, रिपोर्टों की डिजाइनिंग और मुद्रण के मुद्दों तथा कोविड-19 महामारी के प्रभावों को विलंब का अन्य कारण बताया गया था।

8. समिति को यह भी बताया गया था कि मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। सभी संस्थाओं को आईडी दे दी गई है। सभी संस्थाओं को प्रत्येक चरण में वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति को अद्यतन करने का अनुदेश दिया गया है, ताकि मंत्रालय व्यक्तिगत रूप से इन संस्थाओं की निगरानी कर सके।

9. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के प्रतिनिधियों को उनके निष्पक्ष और स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद दिया।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

.....

परिशिष्ट-पांच

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 – 2 xx xx xx

3. शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय सूचना (उच्चतर शिक्षा विभाग) प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब;

4. - 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।